

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

दिनांक: जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- भर्ती नियम बनाने/उनमें संशोधन करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
भेजने के लिए जांच सूची ।

को प्रस्तावों को

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भर्ती नियम बनाने/उनमें संशोधन करने से संबंधित अनुदेशों में
निर्धारित किया गया है कि प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथाअनुमोदित समूह 'क' एवं 'ख' पट्टों/सेवाओं के लिए भर्ती
नियम बनाने/उनमें संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव नियत प्रपत्र (अर्थात् अनुबंध 1 से ॥। तक) में तथा अन्य दस्तावेजों/सूचना
सहित इस विभाग के विचारार्थ भेजे जाएं । यह पाया गया है कि मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव सभी दृष्टि से पूर्ण
नहीं होते हैं तथा प्रस्ताव पर विचार करने के लिए और अधिक सूचना/दस्तावेज/स्पष्टीकरण माँगने लिए इस विभाग को प्रस्ताव
को लौटाना पड़ता है । इसके अतिरिक्त, इस विभाग ने निर्णय लिया है कि भर्ती नियमों को बनाने/संशोधन करने/परिशोधन
करने के लिए प्रस्तावों को अब केवल ऑन-लाईन ही भेजा जाए तथा इस विभाग द्वारा प्रस्ताव को फ्रीज करने के पश्चात्
सहमति के लिए वास्तविक फाइल को स्वीकार किया जाएगा ।

2. भर्ती नियमों को बनाने/संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पर सहज और शीघ्र सहमति को सुकर बनाने के लिए इस
विभाग को ऐसे प्रस्तावों को भेजते समय इस्तेमाल की जाने वाली एक जांच सूची संलग्न की गई है । यह अनुरोध है कि भर्ती
नियम बनाने/उनमें संशोधन करने के लिए इस विभाग को भेजते समय सभी प्रस्तावों को साथ विधिवत भरी गई यह जांच सूची
अनिवार्य रूप से साथ लगी होनी चाहिए ।

मुक्ता

(मुक्ता गोयल)

निदेशक (स्था.-I)

दूरभाष:- 23092479

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
8. एनआईसी (डीओपीटी) इस कार्यालय ज्ञापन का डीओपीटी की वेबसाइट पर ड्लवाने के लिए
9. स्थापना शाखा (50 प्रतियाँ)

07 NOV 2013

Admn!!

1972
8/3/13K.S. Shah
8/3/13

भर्ती यम बनाने/उनमें संशोधन करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तावों को भेजने के लिए जांच सूची ।

1.	जांच सूची संलग्न की गई है	हां/नहीं/लागू नहीं
2.	क्या प्रस्ताव समूह 'क' अथवा 'ख' पदों से संबंधित है ।	हां/नहीं/लागू नहीं
3.	क्या समूह 'ग' पदों से संबंधित प्रस्ताव के संबंध में भर्ती नियमों पर दिशा-निर्देशों से कोई विचलन हुआ है ।	हां/नहीं/लागू नहीं
4.	समूह 'क' अथवा 'ख' पदों से संबंधित (सेवा नियमों को छोड़कर) प्रस्ताव की स्थिति में ऑन-लाईन विचार किए जाने वाले भर्ती नियमों के लिए :- (क) क्या अनुबंध -I एवं अनुबंध -II। अथवा अनुबंध -III। पूर्णतया भरे गए हैं (ख) क्या पदानुक्रम चार्ट भरा गया है (ग) क्या प्रस्ताव अग्रेषित करने वाले अधिकारी के सम्पर्क ब्यौरे दिए गए हैं	हां/नहीं/लागू नहीं
5.	समूह 'क' अथवा 'ख' पदों (सेवा नियमों को छोड़कर) से संबंधित प्रस्ताव की स्थिति में फाइल में विचार किए जाने वाले भर्ती नियमों के लिए :- (क) क्या प्रस्ताव को ऑन-लाईन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया है (ख) क्या प्रस्ताव को फाइल पर भेजने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा फ्रीज कर दिया गया है (ग) यदि ऑन-लाईन भेजे गए प्रस्ताव को फ्रीज कर दिया है, तो अनुसूची (अनुबंध -I) तथा अनुबंध -II। अथवा अनुबंध -III, जैसा भी मामला हो, के संबंध में रिपोर्ट की प्रति संलग्न की गई है	हां/नहीं/लागू नहीं
6.	सेवा नियमों के लिए :- (क) अनुसूची (अनुबंध -I) संलग्न की गई है (ख) यदि यह भर्ती नियमों को बनाने का मामला है तो, क्या अनुबंध -II संलग्न किया गया है (ग) यदि हाँ, तो क्या अनुबंध -II। पर हस्ताक्षर किए गए हैं (घ) यदि यह भर्ती नियमों के संशोधन का मामला है, तो क्या अनुबंध -III संलग्न किया गया है (इ) यदि हाँ, तो क्या अनुबंध -III। पर हस्ताक्षर किए गए हैं	हां/नहीं/लागू नहीं
7.	यदि पद सृजित किया गया है अथवा उन्नत किया गया है तो क्या आदेश प्रस्तुत किया गया है	हां/नहीं/लागू नहीं
8.	यदि पद को पुनः नामित किया गया है तो क्या आदेश प्रस्तुत किया है	हां/नहीं/लागू नहीं
9.	पदों को बढ़ाने अथवा समाप्त करने की स्थिति में, अतिरिक्त/नए पदों के लिए अथवा पदों की समाप्ति के लिए संस्वीकृति आदेश संलग्न किया गया है ।	हां/नहीं/लागू नहीं
10.	क्या पदों की डियूटियों को प्रस्तुत किया गया है	हां/नहीं/लागू नहीं
11.	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की विधि सहित पदानुक्रम चार्ट (मौजूदा एवं प्रस्तावित- दोनों) प्रस्तुत किए गए हैं	हां/नहीं/लागू नहीं
12.	जहाँ प्रथम बार भर्ती नियमों को बनाया गया है तथा जहाँ पहले से ही अधिकारी नियमित आधार पर पदों पर विराजमान हैं वहाँ क्या संवैधानिक	हां/नहीं/लागू नहीं

	अनुच्छेद अंतर्वेशित किए गए हैं	
13.	पद (पदों) के भर्ती नियमों के अभाव में भर्ती की एकबार विधि के रूप में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा निर्धारित भर्ती की विधि को सूचित किया गया है	हां/नहीं/लागू नहीं
14.	क्या पदोन्नति का प्रस्ताव किया गया है	हां/नहीं/लागू नहीं
15.	यदि हाँ, तो क्या फीडर पदों के लिए भर्ती नियमों को संलग्न किया गया है	हां/नहीं/लागू नहीं
16.	क्या फीडर पदों के लिए अन्य पदोन्नति के चैनल उपलब्ध हैं	हां/नहीं/लागू नहीं
17.	क्या संगत फील्ड में अनिवार्य प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समापन को डीपीसी द्वारा विचार दिये जाने के लिए पदोन्नति के लिए मानदंड के रूप में सम्मिलित किया गया है ।	हां/नहीं/लागू नहीं
18.	क्या प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है	हां/नहीं/लागू नहीं
19.	यदि हाँ, तो दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति का क्षेत्र	हां/नहीं/लागू नहीं
20.	क्या अल्पकालिक संविदा को भी सम्मिलित किया गया है	हां/नहीं/लागू नहीं
21.	क्या सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रावधान किए गए हैं	हां/नहीं/लागू नहीं
22.	यदि हाँ, तो सशस्त्र बलों के कार्मिकों के रैंक को इंगित किया गया है	हां/नहीं/लागू नहीं
23.	क्या सामासिक विधि का प्रस्ताव किया गया है	हां/नहीं/लागू नहीं
24.	यदि हाँ, तो क्या उच्चतर ग्रेड में 1 पद के लिए केवल 1 फीडर ग्रेड पद है	हां/नहीं/लागू नहीं
25.	क्या सीधी भर्ती का प्रस्ताव किया गया है	हां/नहीं/लागू नहीं
26.	यदि हाँ, तो क्या सीधी भर्ती के कार्मिकों के लिए आगे पदोन्नति अवसर उपलब्ध हैं	हां/नहीं/लागू नहीं
27.	क्या सीधी रंगरुटों के लिए निर्धारित की गई आयु सीमा व्यवस्थित क्रम में है	हां/नहीं/लागू नहीं
28.	एक मात्र विधि के रूप में जब सीधी भर्ती का प्रस्ताव किया गया था तब क्या भर्ती नियमों में अल्पकालिक रिक्तियों के लिए प्रावधान किए गए थे	हां/नहीं/लागू नहीं
29.	क्या प्रस्तावित अनुभव अवधि व्यवस्थित क्रम में है	हां/नहीं/लागू नहीं
30.	क्या सीधी भर्ती से आने वालों के लिए शैक्षिक अहताएँ पदोन्नत व्यक्तियों (वरिष्ठ समयबद्ध मानों और इससे अधिक के वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों के लिए) के लिए भी लागू रहेंगी	हां/नहीं/लागू नहीं
31.	यदि सीधी भर्ती से आने वालों के लिए शैक्षिक अहताओं में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है तथा पदोन्नत व्यक्तियों के लिए भी लागू की जाती हैं तो क्या मौजूदा उम्मीदवारों के हितों का संरक्षण किया गया है	हां/नहीं/लागू नहीं
32.	क्या संगत कालमों (अनुसूची के सं. 6, 7,10 एवं 11 अर्थात् अनुबंध -1) में मानक टिप्पण संलग्न किया गया है	हां/नहीं/लागू नहीं
33.	पदोन्नति तथा/अथवा स्थायीकरण के लिए पृथक विभागीय पदोन्नति समिति के गठन की सूचना दी गई है	हां/नहीं/लागू नहीं
34.	क्या विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के गठन में न्यूनतम तीन अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है तथा जहाँ कहीं भी निर्धारित किया गया है वहाँ संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सम्मिलित किया गया है	हां/नहीं/लागू नहीं
35.	संशोधन की स्थिति में, क्या मौजूदा भर्ती नियमों की प्रति प्रस्तुत की गई है	हां/नहीं/लागू नहीं
36.	क्या संशोधनों के कारणों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है	हां/नहीं/लागू नहीं
37.	भर्ती नियमों को बनाने की स्थिति में पदों के सृजन के लिए आदेश संलग्न किए गए हैं ।	हां/नहीं/लागू नहीं